

अरावली के जल नकियों में लैंडफिल अपशषिट

चर्चा में क्यों?

[अरावली](#) में जलाशयों में अवैध रूप से अपशषिट डाला जा रहा है। अरावली की भूमि [पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम \(Punjab Land Preservation Act-PLPA\) 1900 की धारा 4](#) के तहत संरक्षित है, जो किसी भी गैर-वनीय गतिविधिको करने के लिये वन विभाग की अनुमतिको अनिवार्य बनाता है।

मुख्य बद्दि

- अरावली में स्थिति [जलाशय स्थानीय वन्य जीवन के लिये जल स्रोत](#) के रूप में कार्य करते थे और अब वे प्रदूषित हो रहे हैं तथा लैंडफिल से निकलने वाले अपशषिट एवं रसिने वाले काले रंग के तरल (Leachate) से भर रहे हैं
- अधिकारियों के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वे [अरावली पारस्थितिकी तंत्र के संरक्षण](#) को प्राथमिकता दें तथा पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे

पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 की धारा 4

- पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (Punjab Land Preservation Act- PLPA), 1900 की धारा 4 के अंतर्गत विशेष आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किये गए प्रतबिधात्मक प्रावधान हैं, जो किसी नरिदषिट क्षेत्र में वनों की कटाई को रोकने के लिये जारी किये जाते हैं, जिससे मृदा का अपरदन हो सकता है।
- जब राज्य सरकार इस बात से संतुषट हो जाती है कि किसी बड़े क्षेत्र के वन क्षेत्र में वनों की कटाई से [मृदा का अपरदन](#) होने की संभावना है, तो धारा 4 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।
 - इसलिये वह वशिषिट भूमि जिसके लिये PLPA की धारा 4 के तहत विशेष आदेश जारी किया गया है, उसमें [वन अधिनियम, 1927](#) द्वारा शासित वन की सभी वशिषताएँ होंगी।

अरावली

- उत्तर-पश्चिमी भारत की अरावली, दुनिया के सबसे पुराने [वलति पहाड़ों](#) में से एक है, जो अब 300 मीटर से 900 मीटर की ऊँचाई वाले अवशिषिट पहाड़ों का रूप ले चुका है। वे गुजरात के [हमिमतनगर](#) से [दिल्ली](#) तक 800 किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए हैं, जो [हरयाणा](#), [राजस्थान](#), [गुजरात](#) और [दिल्ली](#) तक फैले हुए हैं, जो 692 किलोमीटर (कमी) है।
- पर्वतों को दो मुख्य श्रेणियों में वभिजति किया गया है- [सांभर सरोही रेंज](#) और [राजस्थान](#) में [सांभर खेतड़ी रेंज](#), जहाँ इनका वसितार लगभग 560 किलोमीटर है।
- [दिल्ली](#) से [हरदिवार](#) तक फैली अरावली की छपि हुई शाखा [गंगा](#) और [सधु](#) नदियों के जल नकिसी के बीच वभिजन करती है